rajasthansainik

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

पत्रांक – 5792-851 दिनांक – 25 अप्रैल 2018

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी,
समस्त ।

विषय :– **राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018**

SO-I
25/4/18

महोदय,

जैसा कि आपको विदित ही है कि राज्य सरकार द्वारा **राजस्व** लोक **अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार** 2018 का संचालन किया जा रहा है।

अतः आपके अपने जिला कलक्टर से सम्पर्क कर जिन स्थानों / तहसीलों में न्याय आपके द्वार कैम्प लगाए जा रहे हैं, उन स्थानों में से चयनित स्थानों पर पूर्व सैनिकों के लिए समस्या समाधान शिविर आयोजित कर पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का समाधान करावें।

इस दौरान निस्तारित प्रकरणों का पूर्ण रिकार्ड रखा जावे तथा राज्य सरकार को न्याय आपके द्वार अभियान की सूचना में पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की निस्तारित समस्याओं का विवरण प्रस्तुत किया जावे। रिकार्ड हेतु प्रपत्र संलग्न है।

भवदीय,

(ब्रिगेडियर करण सिंह राठौड़)
निदेशक
सैनिक कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि –
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर
2. जिला कलक्टर, समस्त को सूचनार्थ
3. शासन उप सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर
4. उप निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर

निदेशक

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (RURAL), PHED, RAJASTHAN
JAL BHAWAN, 2 CIVIL LINES, JACOB ROAD, JAIPUR
Phone: 0141-2222183, Fax: 141-2223197, E-mail: ral_ce@nic.in

No. F- 29/C.E. (R)/EE Mon-I/2018-19/ 1646 Date: 17/04/2018

Additional Chief Engineer,
PHED Region..........(All)

Sub: "NYAY AAPKE DWAR 2018" from 01.05.2018 to 30.06.2018
Ref: Jt. Secretary to Govt. Revenue Deptt. (Gr.-I) letter No. P12(3) Raj-1/2018 Jalpur dated 06.04.2018.

As per directions of Hon'ble Chief Minister Rajasthan, under Flagship scheme "RAJASVA LOK ADALAT ABHIYAAAN-"NYAY AAPKE DWAR 2018" shall be organized from 01.05.2018 to 30.06.2018. Under this campaign, various revenue cases/works shall be completed along with public benefit schemes run by the Govt.

A meeting was conveyed under the Chairmanship of Chief Secretary, Rajasthan on 09.04.2018 to review the action plan. As per direction received in the meeting, you are directed to pay special attention to following PHED works and shall ensure that all S.Es under your jurisdiction shall collect and submit progress (in MS Excel English font size 12) of following works in enclosed format on every Friday by 11 AM positively to this office after region wise compilation at your level.

S No	Particulars of water supply works
1.	No. of hand pumps repaired
2.	No of Non –functional Hand Pumps removed from site
3.	No of pipe leakages repaired.
4.	No of water samples checked & Physical verification of chlorination and cleaning of OHSR / Sources
5.	No of tail end villages connected with Regional water supply in which water being made available.
6	No of Janta Jal Schemes in which technical problem being solved.

Superintending Engineer PHED concerning CIRCLE office shall be "Nodal officer at district level" for PHED for respective district for "NYAY AAPKE DWAR 2018".

You are therefore directed to take immediate necessary action in this matter, accord matter on top priority & ensure submission of progress to this office.

This should be treated as most important.

(C.M. Chauhan)
Chief Engineer (Rural),
PHED, Rajasthan, Jaipur.

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः मले. / 2018 / दिनाक

समस्त
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजना 'राजस्व लोक अदालत अभियान' के संबंध में।
संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1), राजस्थान सरकार के अशा. टीप क्रमांक प. 12(3)राज–1 / 2018 दिनांक 6.04.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1), राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.12(3)राज–1 / 2018 दिनांक 6.04.18 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना 'राजस्व लोक अदालत अभियान'– न्याय आपके द्वार 2018 के तहत दिनांक 01.05.18 से 30.06.18 तक की अवधि में आयोजित अभियान के दौरान राजस्व संबंधी मुकदमों / कार्यों के साथ विभिन्न विभागों में संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को सम्मिलित कर कार्य सम्पादित किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में फ्लैगशिप योजना के अन्तर्गत 'राजस्व लोक अदालत अभियान'– न्याय आपके द्वार 2018 जिन स्थानों पर संचालित किया जायेगा वहां पर चिकित्सक दल गठित कर उन स्थानों पर चिकित्सा शिविर आयोजित किया जावे। जिसमें रोगी की स्वास्थ्य जांच। स्वाईन फ्लू, डेंगू, मलेरिया आदि मौसमी बीमारियों की जांच कर निरोधक औषधियां वितरित की जावें एवं साथ ही बीमारियों के प्रति सजगता करने वाली प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण करना सुनिश्चित करें। दिनांक 1.05.18 से 30.06.18 तक प्रत्येक दिन की गई कार्यवाही से नोडल अधिकारी, आईडीएसपी को ईमेल rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर अवगत कराया जावें।

-S/-
(डॉ. वी. के. माथुर)
अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः मले. / 2018 / 275 दिनाक 9/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक (आईईसी), मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी (आईडीएसपी), मुख्यालय।
7. कार्यालय प्रति।

9.5.18

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

Pilania Ji (JS)
12/4/18

A. O/c & DS(SK)
Compile & incorporate
12/4/18

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट-5 दिनांक- 11.04.2018

जिला कलेक्टर,
समस्त जिले
राजस्थान।

विषयः - राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के क्रम में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशों की पालना में दिनांक 01.05.2018 से प्रारम्भ हो रहे "न्याय आपके द्वार" अभियान में बैंकों को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन तथा भामाशाह योजना के माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है:-

भामाशाह योजना-

1. इन शिविरों में भामाशाह योजना के अन्तर्गत क्षेत्र का शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना है। अतः भामाशाह योजना से होने वाले लाभों का प्रचार-प्रसार कर अनामांकित परिवार/ व्यक्तियों के नामांकन, नामांकन में संशोधन/अद्यतन तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लाभ की जानकारी भामाशाह में दर्ज करवाने हेतु सीडिंग के लिए आवश्यकतानुसार ई-मित्र काउन्टर लगाना।
2. ई-मित्र प्लस कियोस्क के उपयोग लेने की प्रकिया का प्रर्दशन तथा कियोस्क पर राज्य सरकार की योजनाओं संबंधी फिल्म भी प्रदर्शित की जाए।
3. अवितरित भामाशाह कार्डो का वितरण तथा ई-भामाशाह कार्ड मुद्रण की सुविधा उपलब्ध कराना।
4. सभी भामाशाह नामांकित परिवारों के बैंक खातों को बैंक के सॉफ्टवेयर में आधार से सीडिंग करवाना।
5. अवितरित रूपे कार्डो का वितरण तथा वितरित रूपे कार्डो का समुचित IEC कर एक्टिवेशन।
6. माईक्रो-एटीएम धारक ई-मित्र/ बैंक बी.सी. से रूपे कार्ड से कम से कम 100 ट्रांजेक्शन संपादित कराना।
7. भामाशाह योजना के संबंध में आमजन को जानकारी व शंका-समाधान करना।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-

1. माईक्रो-एटीएम धारक ई-मित्र संचालकों एवं बैंक बी.सी. को कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए मुद्रा लोन (ऋण) आवश्यक रूप से दिलवाना।

2. बैंकों द्वारा योजना अन्तर्गत ऋण वितरण हेतु योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर शिविर से पूर्व आवेदन प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज आदि पूर्ण करना।

3. शिविर के दिन से पूर्व प्राप्त आवेदनों पर शिविर के दिन ऋण वितरण करवाना।

4. यदि कोई व्यक्ति शिविर में आवेदन करना चाहे तो उसे योजना की जानकारी प्रदान करते हुए आवेदन पूर्ण करवा कर प्राप्त करना।

5. जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कर उक्त बैंकिंग गतिविधियों के संबंध में शिविर में बैंक की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए।

उक्त कार्यों हेतु आयोजन यथा-सम्भव अटल सेवा केन्द्र अथवा " न्याय आपके द्वार " के शिविर स्थल पर ही करवाए जाएँ ताकि इन स्थलों पर उपस्थित अधिकाधिक नागरिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इन शिविरों के स्थान, तिथि एवं किये जाने वाले कार्यों का समुचित प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट-5 दिनांक- 11.04.2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ोदा, जयपुर।
6. महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक समस्त बैंक.........................,जयपुर।
7. अग्रणी जिला प्रबंधक, समस्त जिला.................
8. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला............
9. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला............

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट-5 दिनांक- 17.04.2018

जिला कलेक्टर,
समस्त जिले
राजस्थान।

कार्यालय ... राजस्व ... कल्याण ... सरकार
क्रमांक 3354
दिनांक 19/4/18

विषयः- राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 में भामाशाह योजना के प्रशासनिक प्रतिवेदन की प्रति रखने के क्रम में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशों की पालना में दिनांक 01.05.18 से "न्याय आपके द्वार" अभियान प्रारम्भ हो रहा है तथा दिनांक 01.05.18 से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में भामाशाह योजना के माध्यम से दिये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

"न्याय आपके द्वार" शिविरों में उक्त प्रशासनिक प्रतिवेदन की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु आयोजना विभाग से संबंधित काउन्टर पर रखवाना सुनिश्चित करें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट-5 दिनांक- 17.04.2018

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.............
6. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............
7. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी...............

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय, शासनसचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता,श्रम,कारखाना एवं बायलर एवं ई.एस.आई.विभाग

www.livelihoods.rajasthan.gov.in **https://ldms.rajasthan.gov.in**

प्रारूप संलग्न कर भेजा जा रहा है, जिसे जिला श्रम कार्यालय आवश्यकतानुसार वांछित संख्या में मुद्रित कराकर शिविर में वितरण कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

7. अभियान के दौरान प्राप्त शिकायतों का संधारण एवं तत्काल निराकरण सुनिश्चत किया जावेगा।
8. प्रतिदिन शिविर प्रगति की रिपोर्ट जिला कलक्टर के निर्देशानुसार संबंधित को उपलब्ध कराई जावेगी एवं जिलेवार साप्ताहिक रिपोर्ट मण्डल कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित की जावेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(टी. रविकान्त)
शासन सचिव
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता,
श्रम, कारखाना एवं बायलर एवं
ई.एस.आई. विभाग

क्रमांकः—एफ.18(256)/भ.नि.क.म./न्या.आ.द्वार/2018/13460-579 जयपुर, दिनांक : 17.04.2018

प्रतिलिपि :

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण अधिकारी.................(समस्त)।
3. विकास अधिकारी ...., को निर्देशित कर लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार में आयोजित शिविरों में उचित संख्या में कार्मिकों को नियुक्त कर मण्डल से निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं की जानकारी दिया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रचार प्रसार हेतु सामग्री जिला श्रम कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जावे।
4. ए.सी.पी., मुख्यालय, श्रम विभाग, जयपुर।
5. रक्षा पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल

दूरभाष : 0141-2227061ईमेल : secretary.skills.labour@rajasthan.gov.in कमरा नंबर 5225, शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय, शासनसचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता,श्रम,कारखाना एवं बायलर एवं ई.एस.आई.विभाग

www.livelihoods.rajasthan.gov.in https://ldms.rajasthan.gov.in

क्रमांक:–एफ.18(256)/भ.नि.क.म./न्या.आ.द्वार/2018/13560-579 जयपुर, दिनांक : 17.04.2018

परिपत्र

विषय :– न्याय आपके द्वार–2018 आयोजित किये जाने के संबंध में।

राजस्थान में राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2018" दिनांक 01 मई 2018 से 30 जून 2018 तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान में श्रम विभाग से संबंधित चार बिन्दुओं सम्मिलित कर कार्यवाही की जायेगी जो निम्नानुसार है :–

1. निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण एवं विभिन्न योजनाओं के आवेदन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना।
3. निर्माण श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति आदेश वितरण।
4. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) के कौशल प्रशिक्षण में सम्भावित लाभान्वितों का चिन्हीकरण।

अभियान हेतु दिशा–निर्देश :–

1. अभियान के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को निर्माण श्रमिक के ऑनलाईन पंजीयन व योजनाओं के आवेदन करने हेतु वांछित मार्ग दर्शन प्रदान किया जावे।
2. कार्यालय में पदस्थापित श्रम निरीक्षकों, जिला प्रबन्धकों, लेखाकार आदि को "न्याय आपके द्वार" अभियान के दौरान मण्डल की योजनाओं व पंजीयन श्रमिकों को मार्गदर्शन दिये जाने हेतु प्रशिक्षित कर शिविर के विभाग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जावे।
3. जिले में अभियान के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों के समय पदस्थापित जिला अधिकारी शिविर में उपस्थिति देवें।
4. योजनाओं की पात्रता से संबंधित वांछित जानकारी श्रमिकों को उपलब्ध कराई जावे।
5. अभियान के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों के माध्यम से श्रमिक कल्याण योजनाओं के स्वीकृति आदेश वितरित कराये जावें।
6. अभियान के दौरान मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री वितरित की जावे। सामग्री का

: 0141-2227061ईमेल : secretary.skills.labour@rajasthan.gov.in कमरा नंबर 5225, शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15( )पंरावि/विधि/लोक अदालत अभियान/2016/ 546 जयपुर, दिनांक– 11-5-18

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त ।
2. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त ।

विषयः–राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 के दौरान समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने बाबत ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 में पैरा संख्या 195 एवं 2017–18 में पैरा संख्या 284 पर की गयी बजट घोषणाओं की निरन्तरता में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर **"राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2018"** का आयोजन दिनांक 01 मई से 30 जून, 2018 तक तक की अवधि में किया जाना है ।

अतः राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना **"न्याय आपके द्वार"** के दौरान आपके जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित अभियान दिवस को शिविर स्थल/पेयजल आदि की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने के लिए पूर्व की भांति सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करने का श्रम करें ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

उप शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग को उनके पत्र क्रमांक पं.12(3)राज–1/2018 दिनांक 06.04.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप शासन सचिव(विधि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(42) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAYG/जिला/2017–18 जयपुर, दिनांक 16 अप्रैल, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– न्याय आपके द्वार अभियान (1 मई से 30 जून 2018) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत की जांने वाली गतिविधियो के क्रम में।

प्रसंगः– परि. निदे. (मो. एवम् मू.) अ.शा. टीप कमांक प.5 (10)/ग्रावि/अनु.–8/CMIS/2018 दिनांक 11–04–2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना ''राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2018'' दिनांक 1 मई से 30 जून 2018 की अवधि में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग एवम् पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जानी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें:–

1. वर्ष 2018–19 के लक्ष्यों में शामिल लाभार्थियों की जिओ टैगिंग कर स्वीकृतियां जारी करना।
2. वर्ष 2016.17 व 2017–18 में स्वीकृत आवासों के संबंध में –
   i. बकाया द्वितीय किश्त के आवासों की जिओ टैगिंग(द्वितीय किश्त हेतु निरिक्षण) करना
   ii. द्वितीय किश्त जारी आवासों की जिओ टैगिंग (तृतीय किश्त हेतु निरीक्षण) करना
   iii. तृतीय किश्त जारी आवासों की लेवल–7 का निरीक्षण दर्ज करना।

योजना अंतर्गत उक्त कार्यवाही कर निम्न प्रारूप में प्रगति की सूचना दैनिक आधार पर विभाग को प्रेषित करावें:–

	दिनाक	नाम पंचायत समिति	ग्राम पचायतों की सख्या,जिनमें अभियान संचालित किया गया	वर्ष 2018–19 में के लक्ष्यों के विरुद्ध जारी स्वीकृतियों की संख्या	किश्त हेतु निरीक्षणों की संख्या (जिओ टैगिंग की प्रगति)		पूर्ण आवासों के लेवल–7 का निरीक्षणों की संख्या
					द्वितीय किश्त हेतु निरिक्षण	तृतीय किश्त हेतु निरिक्षण	
योग							

(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री,ग्रा.वि. एवं पंरावि
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एव परावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परावि।
6. परियोजना निदेशक (मो. एवं मू.), ग्रावि वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र),समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15( )पंरावि/विधि/लोक अदालत अभियान/2016/500 जयपुर, दिनांकः– 16/5/18

1. जिला कलेक्टर, समस्त ।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त ।

विषयः–राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के दौरान विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना "**राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2018**" का आयोजन दिनांक 01 मई से 30 जून, 2018 तक की अवधि में किया जा रहा है । इस अभियान के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जानी है । जिन पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. जनता जल योजनाओं के अन्तर्गत अभियान के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें:–

(क) जनता जल योजनाओं अथवा सिंगल फेज पंप, जिसके भुगतान हेतु जन समुदाय द्वारा शपथ–पत्र दिया हुआ है अथवा ग्राम पंचायत के स्वामित्व के विभिन्न पेयजल स्त्रोतों की समस्याओं का तत्काल निदान कराया जावें ।

(ग) "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा उतारे जाने वाले काउंटर में पेयजल संबंधी शिकायतें भी प्राप्त की जावें एवं प्राप्त शिकायतों का तत्काल निदान सुनिश्चित किया जावे ।

(ग) पेयजल योजनाओं संबंधी प्राप्त समस्याओं/शिकायतों का इन्द्राज एक रजिस्टर में ग्राम पंचायत स्तर कराया जावे ।

योजना अन्तर्गत उक्त कार्यवाही कर निम्न प्रारूप में प्रगति की सूचना दैनिक आधार पर विभाग को प्रेषित करावें:–

क्र. सं.	शिविर आयोजित होने की दिनांक	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें अभियान आयोजित किया गया	अभियान के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अभियान के दौरान निस्तारित किये गये प्रकरणों की संख्या	शेष रहे प्रकरणों की संख्या	निस्तारित नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

2. विभिन्न विकास योजनाओं में परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाता है, जिसका इंद्राज ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति पंजिका में करने का प्रावधान है । अतः अभियान दिनांक तक सृजित संपत्तियों का इंद्राज परिसंपत्ति रजिस्टर में कराया जावें एवं इस रजिस्टर को आदिनांक किया जावे ।

क. स.	शिविर आयोजित होने की दिनांक	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों की सख्या जिनमें अभियान आयोजित किया गया	दिनांक की अवधि जिस तक रजिस्टर पूर्व से ही अपडेट है	दिनांक जिस तक अभियान के दौरान परिसम्पत्ति रजिस्टर को अपडेट कर दिया गया है	परिसम्पत्ति रजिस्टर अपडेट नही होने का कारण	विशेष विवरण

3. लंबित पट्टों का निस्तारण करना ।

(क) अभियान के दौरान दीनदयाल पट्टा अभियान के तरह की आबादी भूमि का पट्टें नियमानुसार जारी किया जायेंगे :-

शिविर के दौरान पट्टा वितरण के संबंध में प्रगति की सूचना दैनिक आधार पर विभाग को निम्न प्रारूप में प्रेषित करावें:-

क. स.	शिविर आयोजित होने की दिनांक	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों की सख्या जिनमें अभियान आयोजित किया गया	अभियान के दौरान पट्टे के लिये प्राप्त आवेदनो की सख्या	अभियान के दौरान जारी किये गये पट्टों की सख्या	पट्टे दिये जाने से शेष रहे आवेदनों की सख्या	निस्तारित नही होने का कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

4. जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना ।

शिविर के दौरान जन्म-मृत्यु के संबंध में प्रगति की सूचना दैनिक आधार पर विभाग को निम्न प्रारूप में प्रेषित करावें:-

क. स.	शिविर आयोजित होने की दिनांक	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों की सख्या जिनमें अभियान आयोजित किया गया	अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों की सख्या	अभियान के दौरान निस्तारित किये गये आवेदनों की सख्या	शेष रहे प्रकरणों की सख्या	निस्तारित नही होने का कारण

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)खा.वि./आवंटन/भामाशाह/2017 जयपुर, दिनांक 16.04.2018

जिला कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी,
जिला रसद अधिकारी,
समस्त, राजस्थान।

Pilania Ji
JS-I

विषयः— राजस्व लोक अदालत अभियान ''न्याय आपके द्वार—2018'' कार्यक्रम के संबंध में।

सदर्भः— राजस्व (ग्रुप—1) विभाग द्वारा जारी अ.शा.टीप दिनांक 06.04.2018 के क्रम में।

17/4/18

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है, कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना 'राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार—2018' का दिनांक 01 मई, 2018 से 20 जून, 2018 तक की अवधि में आयोजित की जा रही है। अभियान के दौरान राजस्व संबंधी मुकदमों/कार्यो के साथ—साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के संबंध में भी निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाने हैः—

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मे शामिल करने हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करना। बजट घोषणा वर्ष 2018—19 उपरान्त विभागीय अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड की समावेशन सूची में अंकित 1—31 श्रेणियाँ एवं निष्कासन सूची में अंकित 1—7 श्रेणियाँ शामिल है। आवेदक द्वारा नाम जुड़वाने या हटाने हेतु किये गये आवेदन पर (संलग्न दस्तावेजों के आधार पर) कार्यवाही करते समय उपरोक्त 31 एवं 07 श्रेणियों का उल्लेख आवेदन निस्तारण प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत चयनित एवं चयन से वंचित पात्र व्यक्तियों का चयन के साथ—साथ के.वाई.सी. फार्म भरवाने की कार्यवाही LPG coordinater एवं गैस एजेन्सी के सहयोग करना।

SO-I
17/4/18

अतः राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार—2018' का दिनांक 01 मई 2018 से 20 जून, 2018 तक की अवधि में आयोजित अभियान के संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियान के संबंध में विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र (संलग्न) में प्रतिदिन सायं 05:00 बजे तक की गई कार्यवाही से विभाग को जरिये फैक्स/ई—मेल से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

-sd-
(मुग्धा सिन्हा)
शासन सचिव (खाद्य)

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—1) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. उप महाप्रबंधक, (LPG) IOCL इण्डियन ऑयल भवन, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर।

M.Sinha 16/4/18
शासन सचिव (खाद्य)

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कृषि, राजस्थान, जयपुर

कमांकः प.6 (290)/आ.कृ./प्र.मू./रा लो अ अ/2018–19/5716–5906 दिनांकः 11.04.2018

1. **समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार)**
   जिला परिषद्।
2. **उप निदेशक कृषि (विस्तार)**
   आई.जी.एन.पी. बीकानेर

विषयः– 'राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2018' के दौरान कृषि विभाग से संबधित कार्यो के संपादन बाबत्।

प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग की अर्द्धशासकीय टीप क्रमांक प. 12(13) राज–1/2018 दिनांक 06.04.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना "राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार--2018" का आयोजन दिनांक 01 मई, 2018 से 30 जून, 2018 तक किया जा रहा है। जिसमें कृषि विभाग में संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। जिला स्तर पर इस अभियान का नोडल अधिकारी उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद होंगे।

इस अभियान में विभागीय कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अर्न्तगत सोयल हैल्थ कार्ड वितरण, जल के कुशलतम उपयोग हेतु फव्वारा, ड्रिप, जल हौज, फार्म पौंड एवं सिंचाई पाइपलाइन के इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र तैयार कर निस्तारण करना, पौध संरक्षण उपकरण एवं कृषि यन्त्र आदि पर अनुदान हेतु आवेदन पत्र तैयार कराना, बीज मिनिकिट वितरण करना एवं फसल प्रदर्शन हेतु कृषक चयन आदि कार्य सम्पादित करने हेतु समस्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही ध्यान रखा जाए कि लाभार्थी की पुनरावृत्ति नही हो। उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, जिला कलेक्टर कार्यालय से अभियान का ग्राम पंचायतवार प्राप्त कर प्रत्येक शिविर प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेंगे जिसकी सूचना जिला कलेक्टर कार्यालय को भिजवाई जावें।

प्रत्येक शिविर में कृषि विभागीय कार्यक्रम/गतिविधियों की एक लघु प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जायेगा। उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद प्रत्येक शिविर/अभियान में अधिकारी/कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे एवं अपने स्तर से भी शिविरों का निरीक्षण–भ्रमण करते रहेंगे। कृषि विभाग के शिविर प्रभारी राजस्व विभाग के शिविर प्रभारी अधिकारी से लगातार सम्पर्क में रहकर शिविर में विभाग की प्रगति राजस्व प्रभारी अधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। शिविर की प्रगति के विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश है। साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मय हस्ताक्षर संलग्न प्रपत्र में शिविर/अभियान आयोजन के तुरन्त पश्चात् मेल द्वारा **jdagr_me@ rediffmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– प्रगति प्रपत्र

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

F:\OP BAIRWA\Letters 23.docx

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज., जयपुर

क्रमांकः एफ.वी.()एडीएच/पीए/राज. लोक अदा./2018/49-83 दिनांकः 6.5.18

समस्त जिला संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग, राजस्थान।
उपनिदेशक,पशुपालन विभाग कुचामन सिटी ।

विषयः—राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 में विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों हेतु दिशा—निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **राजस्व लोक अदालत अभियानः "न्याय आपके द्वार 2018" के तहत दिनांक 01 मई 2018 से 30 जून 2018** तक किया जावेगा।

जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार – 2018 के तहत शिविर आयोजित किये जायेंगे (कलेण्डर जिला प्रशासन के स्तर से जारी किया जायेगा)।

उक्त अभियान में विभाग की ओर से राज्य स्तर पर अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य, निदेशालय तथा जिला स्तर पर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, जिला पशुपालन विभाग नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी सम्बन्धित स्थल पर राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुये विभागीय कार्यों को सम्पादित करवायेंगे।

जिला संयुक्त निदेशक द्वारा प्रत्येक पंचायत शिविर हेतु पृथक—पृथक दल गठित किये जावे, जिसमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ आवश्यकतानुसार तकनीकी एवम् अन्य सहायक कर्मियों को सम्मिलित किया जावे।

अभियान में पशुपालन विभाग के स्तर से पशुपालकों को लाभान्वित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे :—

1. प्रत्येक पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले अभ्यिानो में विभाग स्तर से **न्याय आपके द्वारा – 2018** का आयोजन किया जाना है।

न्याय आपके द्वारा – 2018 के दोरान निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे –

1. पशुओं की चिकित्सकीय परीक्षण तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सा की जावे ।
2. आवश्यकतानुसार पशुओं को रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाये।
3. पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना अन्तर्गत पशुपालकों को निःशुल्क दवा वितरीत की जावे।
4. पशुपालकों को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारियों से अवगत करावें।
5. विभागीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रचार—प्रसार साहित्य का प्रदर्शन किया जावे।
6. विभागीय संस्था द्वारा वर्ष 2014 पश्चात् किये गये सभी प्रकार के कार्यो (मय विकास कार्यो) का प्रदर्शन किया जावे।

पशुपालन

2. <u>भामाशाह पशुबीमा योजना :</u>

- **भामाशाह पशुबीमा योजना** अन्तर्गत पशुपालकों को लाभान्वित किये जाने के उददेश्य से, पशुबीमा के प्रस्ताव तैयार करे। इसके तहत पशुपालक का पूर्ण विवरण मय भामाशाह कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक का खाता, आधार कार्ड आदि की छाया प्रतियां प्राप्त करें। पशुपालक को पशु के बीमा हेतु शिविर स्थल पर ही बीमा किये जाने की दिनांक से अवगत करावें।

<u>नोट :</u>

- जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन द्वारा प्रत्येक पंचायत हेतु गठित पृथक–पृथक दल को आवश्यकतानुसार औषधियां, प्रचार सामग्री आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जावे।
- सम्बन्धित विभागीय प्रभारी द्वारा विभाग तथा राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी किये गये निर्देशानुसार प्रगति विवरण संधारित किया जावे तथा साथ ही निम्न प्रपत्रों में सूचना भरकर प्रभारी तथा जिला संयुक्त निदेशक को प्रेषित की जायेगी। जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में आयोजित होने वाले कार्यों की प्रगति निर्धारित प्रपत्र में आगामी दिवस में निदेशालय को ई–मेल (ddepid_dah.jpr.co.in) द्वारा आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

<u>प्रगति विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र</u>

दिनांक .... स्थल ....

1. <u>पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना</u>

प्रपत्र 1

क्र.सं.	कार्य	लाभान्वित पशुओं की संख्या	लाभान्वित पशुपालक			
			अनु.जाति	अनु. जनजाति	अन्य	योग
1	उपचारित पशु (दवा वितरण)					
2	टीकाकरण					

2. <u>भामाशाह पशुबीमा योजना</u>

प्रपत्र : 2

क्र.सं.	कार्य	लाभान्वित पशुओं की संख्या (युनिट में)	लाभान्वित पशुपालक			
			अनु.जाति	अनु. जनजाति	अन्य	योग
1	बीमा प्रस्ताव तैयार किये गये					

निदेशक

[illegible]

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- [illegible]/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक [illegible].04.2018

आदेश

राज्य सरकार द्वारा 01 मई से 30 जून 2018 तक न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के अधीनस्थ समस्त विभागों द्वारा प्रस्तावित शिविरों में उपस्थित रहकर रोगियों की स्वास्थ्य जांच की जानी है। शिविरों के संचालन हेतु सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये जाते है कि उक्त शिविर हेतु चिकित्साधिकारियों एवं नर्सिंग कार्मिकों की ड्यूटी कैम्प वाईज लगाई जावे। शिविरों हेतु दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दिनांक 20.04.2018 तक राज्य सरकार को सूचना उपलब्ध करावें। शिविरों में विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों में रोगियों की जांच, उनका उपचार तथा आवश्यकता होने पर गंभीर रोगों की स्थिति में निकटस्थ चिकित्सा केन्द्र को रैफर किया जावेगा। विभाग द्वारा प्रतिदिन शिविरों में प्राप्त सूचना जिला स्तर पर एकत्रित कर राज्य सरकार को भिजवायी जावेगी। [illegible] है। इस हेतु [illegible] स्तर पर एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त [illegible]। जिला स्तर पर भी आवश्यक व्यवस्था कर उन्हें जिला कलक्टर महोदय से [illegible] दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए पाबन्द करें।

संलग्न — उपरोक्तानुसार

([illegible])
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-[illegible]) विभाग को उनके पत्र [illegible] 12(3)[illegible]/2018 दिनांक 06.04.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ [illegible]।
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
5. निदेशक, [illegible]/यूनानी चिकित्सा विभाग,
6. जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

[illegible]
शासन उप सचिव

वरिष्ठ संयुक्त सचिव
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता श्रम,
राजस्थान का संयुक्त, नियोजन विभाग
राजस्थान जयपुर
आवक सं. ...2091.......
दिनांक......17.4.18..

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

ई.एम.आई. केम्पस, जे-8-ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

श्रम एवं नियोजन क्रमांकः आरएसएलडीसी / 2017-18 / 478 दिनांकः 12-04-2018

1615

16486
17/4/18

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना "राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018" के तहत दिनांक 01 मई, 2018 से 30 जून, 2018 तक की अवधि में आयोजित अभियान के दौरान जिले पर निगम के लिये स्थापित रिर्सोस जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर, अभियान में मय स्टाफ उपस्थित होकर राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित प्रशिक्षण कायक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं इच्छुक अभ्यार्थियों का पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

JS (L&E)
Copy to be sent to AC
14/4/18
Include in the booklet

(कृष्ण कुणाल)
प्रबंन्ध निदेशक

क्रमांकः आरएसएलडीसी / 2017-18 / 479-552 दिनांकः 12-04-2018

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, आरएसएलडीसी, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम नियोजन विभाग, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर.................................।
4. महाप्रबंधक-I, II, III आरएसएलडीसी, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आरएसएलडीसी, जयपुर।
6. उपमहाप्रबंधक-I, II, III आरएसएलडीसी, जयपुर।
7. कार्यक्रम प्रबंधक, ए.एस.पी.एल.।
8. प्रोजेक्टलीड, ए.एस.पी.एल. को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त जिला रिर्सोस की अभियान में सक्रिये भागीदारी सुनिश्चित करावें।
9. समस्त जोनल कन्सल्टेन्ट, ए.एस.पी.एल.।
10. समस्त जिला प्रबन्धक, ए.एस.पी.एल. (कार्यक्रम विवरण संलग्न)।

12/4/18
प्रबंन्ध निदेशक

कार्यालय अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युतभवन, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर

कार्यालय फोनः 0141–2744965 : फेक्स न. 0141–24744187

क्रमांकः अध्यक्ष डिस्कॉम्स/प्रा.स./पत्रा 348 /प्रे0 108 जयपुर दिनांकः11.4.18

कार्यालय आदेश

राजस्व लोक अदालत अभियान– "न्याय आपके द्वार–2018"

माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत अभियान–**"न्याय आपके द्वार–2018"** के तहत् दिनांक 1 मई, 2018 से 30 जून, 2018 की अवधि में समास्या समाधान शिविर /लोक अदालत / कैम्प कोर्ट्स आयोजित किये जाने हैं। शिविरों का आयोजन पंचायत स्तर पर राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक शिविर में वितरण निगम के लिये अलग से टेबल लगायी जावेगी। जिला प्रशासन द्वारा शिविरों के आयोजन की तिथियाँ निर्धारित करने अनुसार उक्त अभियान के दौरान ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को भी सम्मिलित कर कार्य सम्पादन किया जाना है।

1. **सौभाग्य योजना व दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन**

   दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये या किये जा रहे वितरण तन्त्र के विस्तार/स्थापना से सर्विस लाइन द्वारा होने वाले सभी अविद्युतीकृत आवासों को कनेक्शन चाहने पर विद्युतीकृत करने हेतु आवेदन प्राप्त कर सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कनेक्शन जारी करना।

2. **सतर्कता जाँचों का निस्तारण**

   कृषि व गैर कृषि कनेक्शनों की सतर्कता जाँचों का निस्तारण एमेनेस्टी योजनाओं के अनुरूप किया जावेगा।

3. **विद्युत आपूर्ति, बिल, मीटर, ट्रांसफार्मर संबंधी समस्या समाधान**

विद्युत आपूर्ति, बिल, मीटर, ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतों का पंजीकरण एवम् अधिकाधिक शिकायतों का शिविर दिवस में ही निस्तारण करना। शेष रही शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु निश्चित अवधि/दिनांक शिविर में ही उपभोक्ताओं को सूचित करना।

4. **ढीले तारों को ठीक करना तथा असुरक्षित विद्युत पॉईंट को सही करना**

शिविर में उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों व फीडर इंचार्जो द्वारा सूचित सुरक्षा के लिये अतिसंवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण व सुधार।

5. **जमा माँग पत्र वाले आवेदकों को कनेक्शन देना**

कनेक्शन हेतु जमा माँग पत्रों पर कनेक्शन देने हेतु कार्यवाही शिविर से पूर्व व शिविर दिवस तक यथासंभव करना व शिविर में शेष रहे जमा मांग पत्रों पर निर्धारित अवधि में कनेक्शन देने हेतु आवेदकों को शिविर में सूचित करना।

6. **त्रुटिपूर्ण विद्युत प्रपत्रों व देरी सम्बंधी समस्याओं का निराकरण**

त्रुटिपूर्ण विद्युत प्रपत्रों के मौके पर ही शुद्धिकरण की कार्यवाही एवं देरी सम्बंधी समस्याओं के समाधान की कार्यवाही

7. **सभी तरह के विद्युत कनेक्शन हेतु नये आवेदन पत्र प्राप्त करना**

शिविरों में सभी श्रेणीयों के नये विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त करना।

8. **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में लम्बित कनेक्शन उपलब्ध कराना**

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा माँग राशि जमा यदि कोई लम्बित कनेक्शन शेष रहा हो, तो उसे जारी करना।

शिविरों के आयोजन, सम्बन्धित योजनाओं व कार्यो के सम्पादन हेतु निम्न अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त आदेश के अनुसार निर्दिष्ट कार्यों के क्रियान्वयन हेतु शिविरों में वितरण निगमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की यथोचित उपस्थित सुनिश्चित करें।

1. निगम स्तर पर – मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय / पीपीएम)
2. सम्भाग स्तर पर – सम्भागीय मुख्य अभियन्ता
3. जिला स्तर पर – अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
4. पंचायत स्तर पर – सहायक अभियन्ता

प्रत्येक पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में उस पंचायत से सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता कार्यालय के निम्न अधिकारी व कर्मचारी भाग लेंगे।

1. सहायक अभियन्ता
2. कनिष्ठ अभियन्ता
3. सहायक राजस्व अधिकारी
4. सम्बन्धित मंत्रालयिक व तकनीकी कर्मचारी

किसी सहायक अभियन्ता के क्षेत्र में यदि एक से अधिक ग्राम पंचायतों में एक ही दिन शिविर आयोजित होने की स्थिति में उस क्षेत्र के अधिशाषी अभियन्ता यह प्रयास करेंगे कि सहायक अभियन्ता अथवा कनिष्ठ अभियन्ता में से एक अधिकारी एवं राजस्व सम्बन्धी व तकनीकी कर्मचारी दोनो शिविरों में उपस्थित रहें। अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सम्भागीय मुख्य अभियन्ता व निगम के नोडल अधिकारी कम से कम एक शिविर में अवश्य भाग लेंगे।

वृत स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता तथा संभाग स्तर पर संभागीय मुख्य अभियन्ता संलग्न परिशिष्ट–1 में सूचना संकलित कर अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) को प्रत्येक सोमवार को सांय 3 बजे तक भेजना सुनिश्चित करेंगे। अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) निगम स्तर पर संकलित सूचना अधीक्षण अभियंता (एमआईएस) को सांय 6 बजे तक प्रस्तुत करेंगे। अधीक्षण अभियंता (एमआईएस) शिविरों के आयोजन व की गई कार्यवाही की प्रगति राज्य स्तर पर संकलित कर अध्यक्ष डिस्कॉम्स, ऊर्जा विभाग व राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार को सूचित करेंगे।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे राज्य सरकार के आदेश व उपरोक्त निर्देशानुसार शिविरों के सफल आयोजन हेतु समग्र प्रयास करेंगें।

(श्रीमत पाण्डेय)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

क्रमांक : प.04(01)उप/2010

जयपुर, दिनांक : 27-04-2018

अधिसूचना

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधनियम संख्या 27) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार **"राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018"** हेतु राजस्थान के जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के शिविर प्रभारी अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम संख्या 3) तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) के अधीन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, गंग एवं भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में उदभूत होने वाले मामलों के सम्बन्ध में कलक्टर एवं भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियों का उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में प्रयोग करने हेतु अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना **"राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018"** के लिए **दिनांक 01 मई, 2018 से दिनांक 30 जून, 2018 तक** की अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd-
(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा.राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन
5. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर का राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
10. रक्षित प्रत्रावली।
11. मास्टर गार्ड।

महेन्द्र प्रकाश शर्मा
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

क्रमांक : प.04(01)उप/2010   जयपुर, दिनांक : 27-04-2018

अधिसूचना

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधनियम संख्या 27) की धारा 2(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत कलक्टर द्वारा अधिरोपित कर्तव्य एवं शक्यिों का प्रयोग **"राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018"** हेतु राजस्थान के जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के शिविर प्रभारी अधिकारियों द्वारा उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में किये जाने हेतु अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना **"राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018"** के लिए **दिनांक 01 मई, 2018 से दिनांक 30 जून, 2018 तक** की अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sd/-
(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा.राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन
5. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर का राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
10. रक्षित प्रत्रावली।
11. मास्टर गार्ड।

महेन्द्र प्रकाश
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

क्रमांक : प.04(01)उप/2010 जयपुर, दिनांक : 27-04-2018

अधिसूचना

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधनियम संख्या 27) की धारा 6 सपठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार उपनिवेशन तहसीलों में पदस्थापित नायब तहसीलदारों को **"राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018"** की अवधि के दौरान उपनिवेशन तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है।

यह अधिसूचना **"राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018"** के लिए **दिनांक 01 मई, 2018 से दिनांक 30 जून, 2018 तक** की अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sd-
(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा.राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन
5. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर का राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
10. रक्षित प्रत्रावली।
11. मास्टर गार्ड।

म.प्र.शर्मा
संयुक्त शासन सचिव